UPMA010029592026

न्यायालय– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय–प्रथम
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध) जिला मऊ।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1000/2026

सत्यम गुप्ता उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र बृजेश गुप्ता,

निवासी– साख नगरपंचायत मधुबन वार्ड नं०–5 पांती गली, थाना मधुबन, जनपद मऊ (उ०प्र)

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ.प्र. राज्य।

दिनांक 12.06.2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त सत्यम गुप्ता के विद्वान अधिवक्ता विनय कुमार शुक्ल की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र मु.अ.सं. 31/2020, अन्तर्गत धारा–376 ता०हि०, थाना मधुबन जनपद मऊ में जमानत पर रिहा किये जाने के निवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है।

02. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है। उसे मामले में झूठा फसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था और न्यायालय द्वारा निर्गत गैर–जमानतीय अधिपत्र पर दिनांक 01.06.2026 से जिला कारागार मऊ में निरूद्ध है। अभियुक्त भविष्य में जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

03. राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री राजेश पाण्डेय उपस्थित।

04. मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है कि अभियुक्त पूर्व में जमानत पर थे। अभियुक्त गैर जमानतीय अधिपत्र पर दिनांक 01.06.2026 से जिला कारागार मऊ में निरूद्ध है। अभियुक्त जरिये विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर चला गया था जिस कारण न्यायालय नहीं आ सका और उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो गया। अब वह न्यायालय की शर्तों को मानने के लिए तैयार है वह भविष्य में न्यायालय उपस्थित आता रहेगा तथा वाद कार्यवाही में सहयोग करेगा। अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

05. प्रार्थी/अभियुक्त सत्यम गुप्ता पुत्र बृजेश गुप्ता द्वारा मु.अ.सं. 61/2021, अन्तर्गत धारा–376 ता०हि०, थाना मधुबन जनपद मऊ के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धनराशि **एक लाख रूपये मात्र** का व्यक्तिगत बन्ध पत्र प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों का पालन करे तो उसे जमानत पर रिहा किया जाता है।

(क). अभियुक्त किसी तरह से साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेगा।

(ख). अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ग). अभियुक्त विवेचना/परीक्षण न्यायालय में सहयोग करेगा।

यदि वे किसी प्रकार से न्यायालय की राय में उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसकी जमानत निरस्त भी की जा सकती है।

(दीपनारायण तिवारी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय–प्रथम
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध)
जिला मऊ (उ०प्र०)
J.O.Code-UP2715

Digitally signed by DEEP NARAYAN TIWARI
Date: 2026.06.12 11:52:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Mau.